संख्या : 19/2026/बी-1-1529 /दस-2026

प्रेषक,

आलोक दीक्षित,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनाँक 18 जुलाई, 2026

विषय:- सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों तथा अनुदानित विश्वविद्यालयों को स्वीकृत अनुदान के आहरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 13/2026/बी-1-1357/दस-2026, दिनाँक 03 जून, 2026 द्वारा प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों तथा अनुदानित विश्वविद्यालयों को स्वीकृत अनुदान के आहरण सम्बन्धी देयकों को क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारियों से प्रति हस्ताक्षरित कराकर उसका भुगतान किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये थे ।

2- उक्त के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग द्वारा अवगत करायी गई समस्याओं/व्यवहारिक कठिनाईयों का संज्ञान लेते हुये सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उपरिअंकित शासनादेश दिनाँक 03 जून, 2026 को निरस्त करते हुये नीचे दी गयी तालिका के कॉलम-2 में उल्लिखित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को, उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले, कॉलम-3 में उल्लिखित जनपदों के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों को स्वीकृत अनुदान के आहरण एवं वितरण हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारी नामित करते हुये डी.डी.ओ. कोड संख्या- 4566 आवंटित किये जाने तथा अनुदानित विश्वविद्यालयों को स्वीकृत अनुदान के आहरण एवं वितरण हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारी नामित करते हुये डी.डी.ओ. कोड संख्या- 4570 आवंटित किये जाने की किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतीं हैं :-

क्रम संख्या	**क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी**	**जनपद का नाम**
1	**2**	**3**
1	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा ।	आगरा, मथुरा,फिरोजाबाद, तथा मैनपुरी।
2	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर ।	कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरया, इटावा, कन्नौज तथा फर्रुखाबाद।
3	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर ।	गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर तथा महाराजगंज।
4	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झाँसी ।	झांसी, ललितपुर तथा जालौन।
5	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली ।	बरेली, पीलीभीत, बदाँयू तथा शाहजहाँपुर।

कृ.पृ.उ.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

क्रम संख्या	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी	जनपद का नाम
1	2	3
6	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।	मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद गौतमबुद्ध नगर, बागपत तथा बुलन्दशहर।
7	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।	लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी तथा उन्नाव।
8	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।	वाराणसी, चन्दौली, जौनपुर तथा गाजीपुर।
9	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, प्रयागराज ।	प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर तथा प्रतापगढ़।
10	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, चित्रकूटधाम-बाँदा।	चित्रकूट, बाँदा, हमीरपुर, तथा महोबा।
11	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, अयोध्या।	अयोध्या, अमेठी, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी तथा सुल्तानुपर।
12	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, देवीपाटन-गोण्डा।	गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच तथा श्रावस्ती।
13	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बस्ती।	बस्ती, सिद्धार्थ नगर, तथा संत कबीर नगर।
14	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, विन्ध्याचल-मिर्जापुर।	मिर्जापुर, सोनभद्र तथा भदोही।
15	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़।	आजमगढ़, मऊ तथा बलिया
16	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद।	मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, सम्भल तथा बिजनौर।
17	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर।	सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, तथा शामली।
18	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, अलीगढ़।	अलीगढ़, एटा, कासगंज तथा हाथरस।

3- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि समस्त सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों द्वारा उनके अन्तर्गत आने वाले सभी जनपदीय सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय तथा अनुदानित विश्वविद्यालयों को स्वीकृत अनुदान के देयकों की शुद्धता एवं महालेखाकार कार्यालय से आँकड़ो के मिलान का दायित्व सम्बन्धित क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी का होगा। इसके साथ-साथ सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारी के समस्त दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

कृ.पृ.उ.

https://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-19/2026/बी-1-1529 (1)/दस-2026,तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग।
3. समस्त जिलाधिकारी।
4. निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. निदेशक वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, उत्तर प्रदेश जवाहर भवन, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
7. उच्च शिक्षा अनुभाग-5.
8. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।